

प्रेषक,  
अरविन्द सिंह ह्यांकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 12 फरवरी, 2014

विषय:- लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेन्ट, मेट, बढई/कारपेन्टर, पलम्बर, सहायक मैकेनिक, सर्वेयर, मैकेनिक, जूनियर लैब सहायक, रोलर फोरमैन एवं वर्क सुपरवाइजर के वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-444/05 का0प्र0-अधि0/13 दिनांक 05.09.13 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमानों से सम्बन्धित विसंगतियों पर विचार हेतु गठित वेतन विसंगति समिति के 22वें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के पत्र संख्या-63/XXVII(7)40(22)/13 दिनांक 07.02.14 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार लोक निर्माण विभाग में वर्क एजेन्ट, मेट, बढई/कारपेन्टर, पलम्बर, सहायक मैकेनिक, सर्वेयर, मैकेनिक, जूनियर लैब सहायक, रोलर फोरमैन एवं वर्क सुपरवाइजर के वेतनमान (सादृश्य ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड) तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त पदों के ग्रेड वेतन निम्न तालिका के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
		4	5	6	7
1.	वर्क एजेन्ट	5200-20200	1800	5200-20200	2000
2.	मेट	5200-20200	1800	5200-20200	1900
3.	बढई/ कारपेन्टर	5200-20200	1800	5200-20200	1900
4.	पलम्बर	5200-20200	1800	5200-20200	1900
5.	सहायक मैकेनिक	5200-20200	1800	5200-20200	1900
6.	सर्वेयर	5200-20200	1800	5200-20200	1900
7.	मैकेनिक	5200-20200	1800	5200-20200	1900
8.	जूनियर लैब सहायक	5200-20200	1800	5200-20200	1900
9.	रोलर फोरमैन	5200-20200	1800	5200-20200	2000
10.	वर्क सुपरवाइजर	5200-20200	1900	5200-20200	2000

2. उपर्युक्तानुसार उच्चीकरण/संशोधन के फलस्वरूप इस शासनादेश के निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-23 सपठित शासनादेश संख्या-697/XXVII(7)30(1)/08, दिनांक 11.09.2013 के अन्तर्गत दिया जा सकेगा और तदनुसार उनके वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के शासनोदश संख्या-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 (यथा संशोधित) एवं शासनादेश संख्या-27/XXVII(7)(स्प0-1)

Sms  
13-02-14

JA  
C.E (Hd)

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग

श्रीमती सचिव  
17/02/14

17/02/14

17/02/14

180

SAO-I

146  
20/02/14  
15/2/14  
C.E (Hd)

2009, दिनांक 13.02.2009 के क्रम में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 11.09.2013 में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-213/ XXVII(7) दिनांक 11 फरवरी 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह हयांकी )  
अपर सचिव

संख्या- 254 / 111(1) / 14-190(पी0डब्लू0डी0) / 01-टी0सी0-7, तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सी0ई0ओ0, वर्ल्ड बैंक परियोजना, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सलाहकार, ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-7/सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( महिमा )  
अनु सचिव

कार्यालय  
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून

पत्रांक 146 / 05 काठपठे-अखण्ड / 13-14 dt 20/02/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियंता, ADB / PMGISY / NH देहरादून।
2. मुख्य अभियंता-II, पी0जी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी / देहरादून।
3. समस्त अन्वीक्षण अभियंता, लो0नि0वी0, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने अन्वीक्षण-एवम् लो0नि0वी0 को शासनादेशानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु उपलब्ध करायें।
4. गार्ड फाईल हेतु।

वरिष्ठ परामर्शक/अभियंता  
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड